ग्राम पंचायत बड़ग्रां, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2022 से 03/2024

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बड़ग्रां, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पचांयत बड़ग्रां में निम्नलिखित प्रधान एवं सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमति सुभा कुमारी	01-04-2022 से 31-03-2024

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री गौरव कुमार	01-04-2022 से 31-03-2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत बड़ग्रां, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है। जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० स०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
01.	अनुदान राशि का अवरोधन	6.1	17.63
02.	आपूर्तिकर्ताओं से बिना W, X फॉर्म प्राप्त किये अनियमित भुगतान के कारण सरकार को रॉयल्टी के तौर राजस्व की वित्तीय हानि।	8.2	20.49 0.84
03.	प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) की सम्भावित वित्तीय हानि।	8.3	0.98
04.	ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकारी राजकोष को वित्तीय हानि बारे।	8.4	0.07
05.	मनरेगा अनुदान के तहत सामग्री पर तय अनुपात से अधिक का व्यय करना।	9.2	7.54
06.	निर्माण कार्य के दौरान शेष बची सामग्री का सम्भावित दुरूपयोग करने बारे।	9.4	0.13

07.	माप पुस्तिकाओं में बिना लीड (दूरी) दर्शाए पत्थर ढुलाई पर अनियमित व्यय	9.5	1.23
08	क्रय स्टोर/स्टॉक का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में न करना एवं सयुंक हस्ताक्षर के बिना ही अनियमित भुगतान।	9.8 9.9	5.44

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत बड़ग्रां, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखाओं का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार क० लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 14-08-2024 से 22-08-2024 तक भरमौर में किया गया। वर्तमान निधि लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2022-2023	10/2022	09/2022
2.	2023-2024	11/2023	06/2023

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत बड़ग्रां, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹5600/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/13 दिनांक 22-08-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत बड़ग्रां द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

(अ) स्वः-स्त्रोत व अनुदान ग्राम पंचायत बड़ग्रां के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक स्वः-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है:

1. स्वः-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	228941.70	696418.00	925359.70	922342.00	3017.70
2023-24	3017.70	985261.00	988278.70	594395.00	393883.70

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	3124388.66	7541556.00	10665944.66	8742184.00	1923760.66
2023-24	1923760.66	10782392.00	12706152.66	10942654.00	1763498.66

कुल योग (1+2) **₹393883.70 + 1763498.66 = ₹2157382.36**

(ब) ग्राम पंचायत बड़ग्रां का दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष विवरण

क्र० स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2024
1.	15th FC	50100359568069	HDFC Bharmour	**1108730.00**
2.	13th/14th FC	17810110695	HPSCB Bharmour	**0.00**
3.	IWMP	32636091670	SBI Bharmour	**0.00**
4.	PMAAY	99231200000173	HPGB Bharmour	**700955.00**
5.	RAY	17810110696	HPSCB Bharmour	**13483.00**
6.	IAY	17810110694	HPSCB Bharmour	**2186.00**
7.	General Head SF/5th SFC/ TASP /VKVNY	17810103215	HPSCB Bharmour	**421199.70**
			Cash In hand	**102.00**
			TOTAL	**₹2246655.70**

अन्तर (ब-अ) ₹2246655.70 - ₹2157382.36 = ₹89273.34

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹0.89 लाख का अन्तर।

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत बड़ग्रां द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **7(3) व 10(1)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹89273 का अन्तर रोकड़बही में कम शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 20-08-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार

पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।

अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹17.63 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹1763498.66 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को निर्धारित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को निर्धारित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बंधित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करता है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 20-08-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा। अत: अनुदान राशि को निर्धारित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.39 लाख की वसूली न करने बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बधित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत बड़ग्रां के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार निम्न ₹39450 की राशि वसूली हेतु शेष थी।

वित्तीय-वर्ष	गत शेष	कुल परिवार	दर	वर्ष के दौरान मांग	कुल मांग	कुल प्राप्त राशि	बकाया राशि
2022-23	23590	392	20	7840	31430	0	31430
2023-24	31430	401	20	8020	39450	0	39450

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 21-08-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है । अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करने से हुई वित्तीय हानि बारे :-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण के शुल्क की वसूली करने उपरान्त वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा निम्नविवरणनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹6200/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के सभा निधि के बैंक खाते में रखा गया है इसके अतिरिक्त रजिस्टर में APL/BPL श्रेणियों का व्यौरा नहीं दिया गया था जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकृत विवाह	APL Rate		राशि	BPL Rate		राशि	कुल राशि सामान्य व BPL
		Without Late Fee	With Late Fee		Without Late Fee	With Late Fee		
2022-23	13	06@200	07@400	4000	-	-	-	4000
2023-24	09	07@200	02@400	2200	-	-	-	2200
कुल योग	**22**	**13@200**	**09@400**	**6200**	-	-	-	**6200**

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-11 दिनांक 31-05-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली उपरान्त उसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा।

अतः उपरोक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करने उपरान्त सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी

राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्रवाई जैसे कि, पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत बड़ग्रां के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 20-08-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 आपूर्तिकर्ताओं से बिना W, X फॉर्म को प्राप्त किए राशि ₹20.49 लाख के अनियमित भुगतान के कारण सरकार को रॉयल्टी के तौर पर ₹0.84 लाख के राजस्व की वित्तीय हानि।

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फॉर्म-W) या सप्लीमेंट्री ट्रांजिट पास (फॉर्म-X) का उपलब्ध करवाना अनिवार्य है

अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची अनुसार रॉयल्टी का भुगतान पेनल्टी सहित किया जाना अपेक्षित है ।

परन्तु ग्राम पंचायत बड़ग्रां, के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णत: अवहेलना की जा रही है । पंचायत द्वारा ठेकेदारों से अन्नापति प्रमाण पत्र/W,X-फॉर्म लिए बिना ही रेत,बजरी व पत्थर इत्यादि की आपूर्ति ली गई है । जिसके परिणामस्वरूप बिना W,X-फॉर्म लिए बिना जहाँ आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹2049115 का अनियमित भुगतान किया गया वही पर उक्त राशि पर सरकार को राशि ₹83593/- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है ।) की रॉयल्टी की वित्तीय हानि भी हुई है ।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 04 दिनांक 20-08-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, नियमों की जानकारी न होने के अभाव में आपूर्तिकर्ताओं से रॉयल्टी की न तो कटौती की गई और न ही W,X फॉर्म लिए गए लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा । उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त फॉर्म उपरान्त ही क्रय किया जाना अपेक्षित था ।

अत: उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव हो रहा है अपितु इससे अवैध खनन की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता । यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है । अत: इस अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये ।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.98 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा-9 में विहित प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बड़ग्रां के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि की खरीद गई थी एवं पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹2049115/- भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है।) किया गया था परन्तु उक्त क्रय सामग्री के अधिकतर आपूर्तिकर्ता GST पंजीकृत नहीं है। फर्मों द्वारा पंचायत को प्रस्तुत बिल प्रॉपर/टैक्स बिल/कम्प्यूटर जनरेटेड न होकर केवल सादे कागज,रसीद, कैश मीमो व परफोर्मा बिल ही हैं जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर/टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹97576.90 की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

उक्त गम्भीर प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 04 दिनांक 20-08-2024 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त पत्र द्वारा सूचित कि, उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पंचायत को केवल सादे कागज, रसीद, कैश मैमो व कुच्छ परफोर्मा बिल ही प्रस्तुत किए गए हैं यदापि पंचायत द्वारा इन बिलों पर भुगतान GST सहित किया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया गया है या नहीं इस मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से शीघ्र ही अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में टैक्स बिलों पर ही भुगतान किया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के सम्बन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो

उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमाविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से कर अदेयता के मामलों की संभावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

8.4 संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹7092 की वित्तीय हानि बारे।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(C) के अनुसार आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व TDS की कटौती करना एवं उसे सरकारी कोष में समयबन्ध तिथि को जमा करवाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत बड़ग्रां के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान संलग्न **परिशिष्ट "6"** के अनुसार राशि ₹354580/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जोकि न केवल आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना है अपितु इसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व में राशि ₹7091.60/- (2%) की वित्तीय हानि आहरण व संवितरण अधिकारी के कारण हुई है।

इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 20-08-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, टी.डी.एस.के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में इसकी कटौती नहीं की गई परन्तु इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में टी.डी.एस की कटौती किये बिना किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा आयकर अधिनियमों

के तहत आहरण व संवितरण अधिकारी से उक्त राशि की वसूली ब्याज सहित करके तुरंत सरकारी राजकोष में जमा करवाया जाये इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य मामलों में अपने स्तर पर गणना करके राशि को जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये ।

8.5 कनिष्ठ अभियंता व तकनीकी स्तर पर निष्पादित निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन एवं मापन पुस्तिका इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करना

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है ।

ग्राम पंचायत की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ठ अभियंता एवं तकनीकी स्तर पर निम्नविवरणनुसार करवाए गए कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका, प्रपत्र-34 उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त स्तर पर किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी ।

Sr.No/ Grant	Work Name	Sanction. Amount (In lakhs)	Documents not produced
1.MGREGA	C/o Community bhavan at Khanbagga	10.00	MB, Estimate/ Work Order/ Technical sanction order,Format-34etc
2.MGREGA	C/o Pacca path main road to Khanbagga	16.94	
3.MGREGA	C/o Interlock tile Tulsi house to kewal house Badgran	11.65	
4.MGREGA	C/o Check Dam at Kuthari	15.00	do
5.MGREGA	C/o Pacca path at Badgran	4.77	do
6.MGREGA	C/o Protection work at Khanbagga (ZP)	4.93	do

7.MGREGA	C/o Protection work at upper Badgran (ZP)	5.00	do
8.MGREGA	C/o Interlock tile buhari Mandir to Nala	5.00	MB,,UCC Estimate, Work Order and Technical Sanction order,Format-34.etc
9.MGREGA	C/o Soil Conservation Work at digan Pal mandir Dali	2.64	,UCC Estimate, Work Order and Technical Sanction order,Format-34.etc
10.IWMP	C/o Water Storage tank Morthu		do
	TOTAL	75.93	

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12 दिनांक 21-08-2024 द्वारा पंचायत सचिव को उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। इसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त कार्यो के समस्त अभिलेख कनिष्ट अभियंता के पास विकास खंड कार्यालय में पड़े है इस कारण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जा सके। उत्तर तर्कसंगत नहीं है। अत: उक्त वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत न करना संस्था के नियन्त्रण तंत्र की पारदर्शिता व उत्तरदायित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है एवं इनके अभाव में इन निर्माण कार्य में नियमों/विनियमों एवं भुगतानों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्णित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण को प्रस्तुत किए जाए।

9.1 बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के राशि ₹3.75 लाख के स्टोर/स्टॉक का अनियमित भुगतान

ग्राम पंचायत बड़ग्रां के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "7"** के अनुसार राशि ₹375352 का भुगतान विभिन्न सामग्रियों के क्रय की एवज में किया गया परन्तु इन बिलों के अवलोकन में पाया गया यह बिल प्रॉपर/टैक्स बिल न होकर अभिस्वीकृति सहित सादे कागज पर रसीद मात्र, कैश मैमों तथा परफोर्मा बिल हैं इसके अतिरिक्त अधिकतर बिलों पर वेन्डर/आपूर्तिकर्ता का विवरण, GST/TIN संख्या, बिल क्रमांक इत्यादि अंकित नहीं है एवं बिलों पर दिनांक भी हस्तलिखित है एवं

बिल संख्या पंचायत द्वारा बिलों पर स्वयं आवंटित की गई है। जिससे कि इनकी सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी इस प्रकार के बिलों की कुच्छ नमूना प्रतिलिपियाँ इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर संलग्न हैं।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 20-08-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कहा कि, अधिकतर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा इस प्रकार के बिलों पर दावे किये गए हैं जिनका समय-समय पर पंचायत द्वारा भुगतान किया गया है भविष्य में प्रॉपर टैक्स बिलों एवं मान्य GST धारकों से ही क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। उक्त अनियमितताओं एवं प्रस्तुत उत्तर के आधार पर उक्त व्यय संदिग्ध व अनियमित प्रतीत होता है अत: इस सम्बन्ध में अपना पक्ष ठोस तथ्यों व अभिलेखों सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करते हुए उक्त किये गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये तथा इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.2 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत सामग्री पर तय अनुपात से राशि ₹7.54 लाख का अधिक अनियमित व्यय करने बारे।

मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश 2013 (MNREGA Operatinal Guidlines 2013) **नियम 7.4** के अंतर्गत पंचायत स्तर पर मजदूरी व सामग्री को तय अनुपात में खर्च किये जाने के नियम प्रावधित हैं। जिसके अंतर्गत मजदूरी लागत का भौतिक लागत से अनुपात अधिनियम में निर्धारित 60:40 (मजदूरी व सामग्री) के न्यूनतम मापदंड से कम नहीं होना चाहिए।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार मजदूरी पर तय अनुपात से 7.11% कम एवं सामग्री के ऊपर तय अनुपात से अधिक 7.11% का व्यय किया गया जोकि न केवल उक्त दिशा-निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु मनरेगा योजना के मौलिक उदेश्य "ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने" को भी हतोत्साहित करता है।

क्रम.	वित्तीय वर्ष	कुल व्यय (लाखों में)	मजदूरी पर व्यय (लाखों में)	मजदूरी पर व्यय प्रतिशतता	सामान पर व्यय (लाखों में)	सामान पर व्यय प्रतिशतता
1.	2023-24	95.26	40.09	42.08%	55.17	57.92%
	सामाग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय				**₹7.54**	**+7.92%**

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-07 दिनांक 20-08-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, मनरेगा के अंतर्गत तय अनुपात से सामग्री के अधिक व्यय की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली जाएगी। अत: उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.3 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹1.42 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें,कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत बड़ग्रां द्वारा राशि ₹142581/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "3"** में दिया गया है।) जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया। जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के सरकारी नियमों की अवहेलना भी की गई, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 20-08-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय किया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है एवं बिना कुटेशन के क्रय करना संदिग्ध प्रतीत होता है यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है।

9.4 निर्माण क्रय के दौरान बची हुई शेष सामग्री राशि ₹0.13 लाख का सम्भावित दुरूपयोग।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार** सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है, उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा।

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत कार्यों हेतु **परिशिष्ट-8** व निम्नविवरणानुसार बजरी क्रय व उपयुक्त सामग्री में से शेष बची सामग्री (3.16m3@3500 & 0.73m3@3300) राशि ₹13469 का न तो स्टॉक में बकाया शेष दर्शाया गया और न ही इसकी आगे कोई खपत दिखाई गई। इसके अतिरिक्त मापन पुस्तिका को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं किया गया था जो अनुचित व संदिग्ध प्रतीत होता है।

1.Name of Work: Water Storage Tank Morthu Head IWMP MB No. 29956 Page 72-76			
Item no. & Nomenclature	**Executed Qty.**	**Material Consumed**	**Material Balance**
5. P/L CC 1:3:6 6. P/L CC 1:2:4	4.08m3 15.80m3	Agg. 3.63m3 Agg. 14.06m3	3.16m3@3500 = 11060 20.85-17.69 = 3.16m3
2. Name of Work: Drain Diversion Channel Upper & Lower Khanbago Head IWMP MB No. 29956 Page 79-82			
3. P/L CC 1:3:6	12.18m3	Agg. 10.84m3	0.73m3@3300 = 2409 (11-57m3-10.84m3)

Remraks: In Above CC 1:3:6 Consumption factor (for agg). has taken 0.89 & for CC 1:2:4 (for Agg). has taken 0.89. As In MB no Consumption Statement was Prepared and No size of CC Shown in Nomenclature.

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 21-08-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि सामग्री की प्रतिपूर्ति करके सम्बन्धित खातों में जमा करवा दी जाएगी। अत: उक्त प्रकरण में शेष सामग्री की राशि की प्रतिपूर्ति सम्बंधित कर्मचारी से करके शीघ्र ही खाते में जमा करवाई जाये एवं अन्य ऐसे मामलों की विभागीय स्तर पर छानबीन उपरान्त अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.5 माप पुस्तिकाओं में बिना लीड (दूरी) दर्शाए पत्थर ढुलाई पर राशि ₹1.23 लाख का अनियमित व्यय।

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं के अवलोकन में पाया गया 163.50m3 पत्थर की ढुलाई दर्शाई गई है जिसके एवज में राशि ₹122864 (56978+65886) का भुगतान कार्यरत लेबर को (मद पत्थर ढुलाई हेतु) किया गया है। जिसका निम्न संक्षिप्त विवरण एवं संलग्न **परिशिष्ट "8"** में पूर्ण विवरण दिया गया है।

माप पुस्तिका में लेबर द्वारा पत्थर की ढुलाई की दूरी (लीड) दर्ज नहीं की गई है और न ही उक्त मद को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है जिससे कि उक्त मद के तहत किये गए भुगतान की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

1.Name of Work: Soil Conservation Work at Digan Pal Mandir Head MGREGA MB No. 29883 Page 45, 57 & 84				
Nomenclature	**Executed Qty.**	**Rate**	**Amount**	**Remrks**
Stone Carrige	88.5m3	744.47	65885.59	No lead shown in MB

2.Work: Rasta Nirmaan main Road to Nahar Panjari Head MGREGA MB No.29883 Page 60 & 88 MB No. 046 Page. 99 & 100 MB 29870 Page. 29,77 & 95				
Stone Carrige	32.5m3	779.64	25338.30	No lead shown in MB
Stone Carrige	42.50m3	744.47	31639.97	-----do-----------
Total (1+2)	**163.5m3**		**₹122863.86**	

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 21-08-2024 द्वारा उक्त प्रकरण पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में माप पुस्तिकामें पूर्ण विवरण भरा जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है अत: उक्त अनियमित व्यय की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये अनुपालना लेखा परीक्षा में वांछित है।

9.6 निर्माण कार्यों के दौरान कुल उपलब्ध सामग्री से अधिक का मूल्यांकन करने बारे।

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका अनुसार 229m3 Dry Rubble Masnory मद का निष्पादन दर्शाया गया है जिसकी कुल खपत 265.63m3 पत्थर बनती है आगे अवलोकन में यह पाया गया कि उक्त मद के निष्पादन हेतु पंचायत द्वारा मेनुयल लेबर व आपूर्तिकर्ताओं से कुल 217.03m3 पत्थर एकत्रित व क्रय किये गए थे जबकि खपत 265.63m3 की हुई है इस प्रकार उक्त मद पर कुल 48.60m3 पत्थर का अधिक मूल्यांकन दर्शाया गया है जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित एवं पूर्ण विवरण **परिशिष्ट 8** में दिया गया है।

1.Name of Work: Soil Conservation Work at Digan Pal Mandir Head MGREGA MB No. 29883 Page 45, 57 & 84				
Nomenclature	Executed Qty.	Consuption of Stone	Total Availbale Stone	Excess Stone Qty.Recorded
1.	2.	3. (2x1.16)	4.	5. (4-3)
Dry Rubble Masnory	113.67m3	131.85m3 (113.67x1.16)	112.53m3	19.32m3

2.Work: Rasta Nirmaan main Road to Nahar Panjari Head MGREGA MB No.29883 Page 60 & 88 MB No. 046 Page. 99 & 100 MB 29870 Page. 29,77 & 95				
Dry Rubble Masnory	115.33m3	133.78m3 (115.33x1.16)	104.50m3	29.28m3
Total	**229m3**	**265.63m3**	**217.03m3**	**48.60m3**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 21-08-2024 द्वारा उक्त प्रकरण पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में तकनीकी सहायक व सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है अत: उक्त अनियमितता को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये अनुपालना लेखा परीक्षा में वांछित है।

9.7 पंचायत की माप पुस्तिकाओं के रख-रखाव में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

हि०प्र० पंचायती राज ((वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-11 के नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ट अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत के तकनीकी स्तर पर करवाए गए निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि यह उक्त नियमानुसार कनिष्ट अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं की गई थी इसके अतिरिक्त माप पुस्तिका में तकनीकी सहायक द्वारा सामग्री खपत विवरण तैयार नहीं किया गया था जोकि न केवल अनुचित हैं अपितु इसके अभाव में यह ज्ञात करना जटिल हो जाता है कि वास्तव में कितनी सामग्री किसी कार्य विशेष हेतु क्रय की गई कितनी उपभोग की तथा कितनी शेष बची ? इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 21-08-2024 के प्रत्युत्तर में कहा गया कि भविष्य में उक्त अनियमितताओं की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं हैं उक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.8 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही राशि ₹5.44 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)(2)** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान हेतु ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव दोनों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना जरुरी है।

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत प्रधान द्वारा एकल हस्ताक्षर से ही (संलग्न परिशिष्ट "5") राशि ₹544023/- भुगतान किये गए थे जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु यह संदिग्ध भी प्रतीत होता है जिसके अंतर्गत राशि के दुर्विनियोजन की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है एवं न ही किये गए भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 20-08-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव ने कहा कि, भविष्य में नियमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर उपरान्त ही बिलों का भुगतान किया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों को न्योयचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.9 राशि ₹5.44 लाख के क्रय स्टोर/स्टॉक को स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न करना एवं पंचायत के स्टॉक रजिस्टर के रख-रखाव में पाई गई विविध अनियमिताओं बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार** सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा एवं नियम 70 से 72 में वर्णित विभिन्न नियमों की अनुपालना आवश्यक है।

ग्राम पंचायत द्वारा अन्य अनुदानों हेतु संधारित स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न परिशिष्ट "5" के अनुसार राशि ₹544023 के

स्टोर/स्टॉक को स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया था जोकि अनुचित है। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा स्टोर/स्टॉक की प्राप्ति, उसे जारी करने, उसका भण्डारण करने एवं स्टोर के लेखे उक्त नियमानुसार नहीं रखे गए थे। स्टोर को जारी करने हेतु मांगपत्र, प्राप्तकर्ता की अभीस्वीकृति/हस्ताक्षर के बिना प्राप्त स्टोर को एक साथ जारी करना एवं जारी करने की तिथि इत्यादि भी अंकित न होना, प्राप्त स्टोर/स्टॉक का परिक्षण, गणना माप-तोल एवं स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर का संधारण न करना न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना हैं अपितु इससे क्रय स्टोर/स्टॉक की दुर्विन्योजन की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 20-08-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि स्टोर/स्टॉक के भंडारण, जारी करने के सम्बन्ध में भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चूँकि यह न केवल नियमविरुद्ध है अपितु स्टॉक रजिस्टर के रख-रखाव में पाई विविध अनियमितताओं के दृष्टिगत से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अत: नियमविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्योयचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.10 मनरेगा मटेरियल व वर्क रजिस्टर के संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे

ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन मटेरियल रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत वित्तीय वर्षो 2022-2023 एवं 2023-2024 के दौरान कुल ₹6224562 का स्टोर/स्टॉक क्रय किया गया था परन्तु उक्त ऑनलाइन रजिस्टर में क्रय स्टोर/स्टॉक को तकनीकी सहायक द्वारा न तो सत्यापित किया गया था और न ही इसके अथशेष, अन्तशेष तथा स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि का विवरण भरा गया है इसके अतिरिक्त मनरेगा ऑनलाइन वर्क रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि इसमें कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि को नहीं भरा जा रहा है जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इसके अभाव में स्टोर/स्टॉक के दुर्विन्योजन व कार्य में

किसी प्रकार के अनिधिकृत समायोजन प्रविष्टि की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 व 07 दिनांक 20-08-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि, इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह एक गम्भीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाई जाती है। अतः नियमविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्योयचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.11 मनरेगा के अंतर्गत किये भुगतानों के Fund Transfer Orders को प्रस्तुत न करना।

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण में मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्ही को भुगतान किया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 20-08-2024 को सचिव को उक्त FTOs को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। उत्तर संतोषजनक नहीं है अतः FTOs का पंचायत में न पाए जाने को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.12 राशि ₹5.58 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे।

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण

कार्यों का निरीक्षण करेगी। पंचायत बड़ग्रां के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणनुसार कुल राशि ₹558259/- का व्यय किया गया। जिसमें निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई :-

1. मस्ट्रोल पर सतर्कता व निर्माण समिति के हस्ताक्षर न करवाना।
2. प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना भुगतान करना।
3. मस्ट्रोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान द्वारा सत्यापित न करना।
4. मस्ट्रोल में अन्य विवरण जैसे: प्रस्ताव संख्या, दिनांक ,कार्य का नाम , कार्य शुरू करने एवं समाप्ति की तिथि इत्यादि का विवरण अपूर्ण पाया जाना।

क्र०स०/ अनुदान	निर्माण कार्य	मस्ट्रोल संख्या	वाउचर/ दिनांक	राशि
IWMP.1	कार्य: वाटर टैंक मोरटू	34105	01/ 22-09-2022	68993
2IWMP .	कार्य: वाटर स्टोरेज टैंक कुठार	20151	20/ 26-09-2022	71084
3.IWMP	कार्य : ड्रेन विध चैम्बर लडौगी से पत्खन	34102	21/ 26-09-2022	142758
4. 15th FC	कार्य :फुटपाथ बड़ग्रां से GHS बड़ग्रां	20153/ 20152	06-30/ 21-09-2022	240597
5. 15th FC	कार्य: ड्रेन विध पक्का पाथ मनाहण	56337	31/ 05-06-2023	34827
			कुल योग	₹558259

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08 दिनांक 20-08-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, के ध्यानार्थ वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बड़ग्रां के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा समस्त अनुदानों व स्व-स्त्रोतों की रोकड़बहियों का संधारण ऑनलाइन व मैन्युअल दोनों माध्यम से किया जा रहा है जबकि विभाग के दिशा-निर्देशों अनुसार रोकड़बहियों का संधारण e-ग्राम स्वराज में ही किया जाना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत द्वारा ऑनलाइन संधारित रोकड़बहियों को अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अंकेक्षण में प्रस्तुत मैन्युअल संधारित रोकड़बहियों का रख-रखाव उचित तरीके से नहीं किया गया था इसमें कटिंग, ओवरराइटिंग के साथ-साथ न तो अथशेष व अन्तशेष लिए गए हैं और न ही इसमें दर्ज/प्रविष्ट Transctions के प्रगतिशील योग किये गए हैं जोकि न केवल लेखांकन नियमों के विरुद्ध हैं अपितु इससे पंचायत द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट 1 व 2 में लिए अथशेषों व अंतशेषों को सत्यापित नहीं किया जा सका। ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय तालिका, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनिधिकृत समायोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-07 दिनांक 20-08-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, समस्त रोकड़बहियों का संधारण मेनुअल माध्यम से किया जा रहा है एवं ऑनलाइन संधारित रोकड़बहियाँ अपूर्ण होने के कारण वह लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी मेनुअल संधारित रोकड़बहियों में अंतशेष, अथशेष व प्रगतिशील योग नहीं किया गए हैं एवं परिशिष्टों में दर्शाए गये अथशेष व अन्तशेष पंचायत

की परीक्षा संतुलन सूची व बैंक पासबुक से लिया गए हैं। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 पंचायत के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे।

ग्राम पंचायत बड़ग्रां के नमूना अंकेक्षण में पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि, पंचायत के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 20-08-2024 द्वारा पंचायत सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3. खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वितीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों जैसे TASP 4515, VKVNY, व 3rd/5th स्टेट का एक बैंक खाता एवं एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 20-08-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.4 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
9.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं
10.	बिल रजिस्टर	13	48	संधारित नहीं

11.	ग्राम पंचायत का स्टॉक/सामग्री रजिस्टर	01 व 06	34	अपूर्ण
12.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 20-08-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में विहित रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा। अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11 भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

परन्तु ग्राम पंचायत बड़ग्रां की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 20-08-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकर्संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12 लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13 निष्कर्ष :- उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विनियोजन की संभावना को पूर्णतः नकारा जा सके।

(कृष्ण लाल नेगी) 22.X.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

22 OCT 2024 का0/पु0 4786 – 4790

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 165/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत बड़ग्रां, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(कृष्ण लाल नेगी) 22.X.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का0/पु0

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Financial Position of GP Badgran for the Year 2022-2023 To 2023-2024

1. Own Source (VKVNY, TASP 4202,4515, 3rd/5th SFC)

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	228941.70	696418.00	925359.70	922342.00	3017.70
2023-24	3017.70	985261.00	988278.70	594395.00	393883.70

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	3124388.66	7541556.00	10665944.66	8742184.00	1923760.66
2023-24	1923760.66	10782392.00	12706152.66	10942654.00	1763498.66
					2157382.36

नोटः प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बड़ग्रां , विकास खंड भरमौर में उपरोक्त निधियों के अंतर्गत पांच रोकड़ बहियाँ का संधारण किया जा रहा है ।

1+2 (393883.70+1763498.66)	Closing Balance as per Cash Books	2157382.36
	Closing Balance as per Bank Passbook	2246655.70
	Difference (Less in CashBook	-89273.34

checked

Secretary
Gram Panchayat Badgram
Dev. Block Bharmour

परिशिष्ट "2" पेरा संख्या 4 में सन्दर्भित

Financial Position Grants in Aids of GP Badgran for the Year to 2022-2023 To 2023-2024

Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2022-23	0.00	5530088.00	5530088.00	5530088.00	0.00
		2023-24	0.00	9525725.00	9525725.00	9525725.00	0.00
2	15TH FC	2022-23	2129360.00	1806216.00	3935576.00	2035735.00	1899841.00
		2023-24	1899841.00	279022.00	2178863.00	1140671.00	1038192.00
3	14th FC	2022-23	31795.00	72317.00	104112.00	104043.00	69.00
		2023-24	69.00	258.00	327.00	258.00	69.00
4	PMMAY	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-24	0.00	976955.00	976955.00	276000.00	700955.00
5	IWMP	2022-23	948429.66	132502.00	1080931.66	1072318.00	8613.66
		2023-24	8613.66	0.00	8613.66	0.00	8613.66
6	RAY/IAY	2022-23	14804.00	433.00	15237.00	0.00	15237.00
		2023-24	15237.00	432.00	15669.00	0.00	15669.00
			3124388.66	7541556.00	10665944.66	8742184.00	1923760.66
			1923760.66	10782392.00	12706152.66	10942654.00	1763498.66

Secretary
Gram Panchayat Badgram
Dev. Block Bharmour

परिशिष्ट– "3"

ग्राम पंचायत बड़ग्रां, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना (पैरा संख्या 9.3 में संदर्भित)

Sr.No.Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier	Amount	Remarks
1.14th FC	07/ 22-09-22	Paint, Putty Brush etc.	-	M/S Kartik Swami Traders, Bharmour	47000	Quotations
2.15th FC	05/ 21-09-22	Soling Stone	23.76m3 @2500	M/S Kanchan Singh, PO Badgran, Bharmour	59400	Tender
3.15TH FC	54/ 23-10-22	Cricket Kit	-	M/S Manoj Gift Center, Bharmour, Chamba	23500	Quotations
4. MGREGA	Nil/ 27-06-23	Sign Board	03@5000	M/S Sanjay Kumar, PO Badgran, Chamba	12681	Quotations
				Total	**142581**	

Secretary
Gram Panchayat Badgram
Dev. Block Bharmour

परिशिष्ट "4" पैरा संख्या 8.2 व 8.3 में संदर्भित

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP BADGRAN FROM WHICH PURCHASE WITHOUT "X,W" FORM & NEITHER ROYALITY DEDUCTED & PROBABALE LOSS OF GST 01-04-2022 TO 31-03-2024

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT TO BE PAID	GST PAID ON BILL
1	M/S Surnider Kumar	IWMP	06 & 07/	Aggre.	12.00	23.28	39600	60	1396.80	37714.29	1885.71
	PO Badgran, Bharmour		22-09-2022	Stone	8.00	17.92	20000	60	1075.20	19047.62	952.38
2	Sh. Hukmi Ram	IWMP	09/	Sand	8.83	14.13	23400	60	847.68	22285.71	1114.29
	PO Badgran, Bharmour		26-09-2022					60	0.00	0.00	0.00
3	M/S Kukinder Kapoor	IWMP	12/	Aggre.	4.00	7.76	14000	80	620.80	13333.33	666.67
	PO Badgran, Bharmour		26-09-2022					80	0.00	0.00	0.00
4	M/S Sanjay Kumar	IWMP	18/	Sand	8.54	13.66	40000	80	1093.12	38095.24	1904.76
	PO Badgran, Bharmour		26-09-2022					80	0.00	0.00	0.00
5	Sh. Om Prakash	IWMP	14/	Aggre.	16.85	32.69	44625	80	2615.12	42500.00	2125.00
	PO Badgran, Bharmour,		26-09-2022					80	0.00	0.00	0.00
7	Sh. Mukesh Kumar	IWMP	26/	Sand	10.32	16.51	24640	80	1320.96	23466.67	1173.33
	PO Badgran,Bharmour		26-09-2022					80	0.00	0.00	0.00
8	M/S Kanchan Singh	15th FC	05/	Stone	23.76	53.22	59400	80	4257.79	56571.43	2828.57
	PO Badgran, Bharmour		21-09-2022					80	0.00	0.00	0.00
9	M/S Kunj Lal	15th FC	45-46/	Sand	5.60	8.96	31634	80	716.80	30127.62	1506.38
	PO Badgran, Bharmour		23-10-2022	Aggre.	3.12	6.05	18507	80	484.22	17625.71	881.29
10	M/S Pahadu Ram,	15th FC	56-58/	Stone	44.00	98.56	110000	80	7884.80	104761.90	5238.10
	PO Badgran, Bharmour		15-11-2022					80	0.00	0.00	0.00
11	M/S Om Prakash	15th FC	112-115/	Sand	6.80	10.88	36916	80	870.40	35158.10	1757.90
	PO Badgran, Bharmour		04-01-2023	Aggre.	13.08	25.38	48863	80	2030.02	46536.19	2326.81
				Stone	0.40	0.90	1100	80	71.68	1047.62	52.38
12	M/S Kokinder Kapoor	15th FC	06-08/	Sand	9.90	15.84	48000	80	1267.20	45714.29	2285.71
	PO Badgran, Bharmour		15-04-2023	Aggre.	17.19	33.35	60700	80	2667.89	57809.52	2890.48
13	M/S Kanchan Singh	MGREGA	27-28/27-06-23	Stone	70.00	156.80	63000	80	12544.00	60000.00	3000.00
14	M/S Pahadu Ram,	MGREGA	34-38/27-06-23	Sand	38.00	60.80	190000	80	4864.00	180952.38	9047.62
15	M/S Om Prakash	MGREGA	46-46/27-06-23	Aggre.	24.00	46.56	96000	80	3724.80	91428.57	4571.43
16	M/S Kunj Lal	MGREGA	32-33/20-06-23	Aggre.	12.70	24.64	58438	80	1971.04	55655.24	2782.76
17	M/S Kanchan Singh	MGREGA	40-41/	Stone	20.00	44.80	18000	80	3584.00	17142.86	857.14
	PO Badgran, Bharmour		20-06-2023	Sand	6.70	10.72	30820	80	857.60	29352.38	1467.62
18	M/S Pahadu Ram,	MGREGA	39-43/28-06-23	Sand	40.00	64.00	224000	80	5120.00	213333.33	10666.67
19	M/S Om Prakash	MGREGA	47-56/27-06-23	Aggre.	80.00	155.20	416100	80	12416.00	396285.71	19814.29
20	M/S Pahadu Ram,	MGREGA	15-17/27-06-23	Sand	6.22	9.95	34832	80	796.16	33173.33	1658.67
	PO Badgran, Bharmour			Aggre.	12.16	23.59	71744	80	1887.23	68327.62	3416.38
21	M/S Om Prakash	MGREGA	57-58/27-06-23	Aggre.	12.16	23.59	71744	80	1887.23	68327.62	3416.38
22	M/S Kanchan Singh	MGREGA	21/27-06-23	Stone	8.00	17.92	20000	80	1433.60	19047.62	952.38
23	M/S Pahadu Ram,	MGREGA	01/28-06-23	Sand	9.00	14.4	46800	80	1152.00	44571.43	2228.57
24	M/S Nidhiya Ram	MGREGA	45,60/28-07-23	Sand	7.00	11.20	39200	80	896.00	37333.33	1866.67
	VPO Badgran			Aggre.	7.98	15.48	47052	80	1238.50	44811.43	2240.57
						TOTAL	2049115		83592.64	1951538.10	97576.90

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal
   Rate of Royalty is taken Rs60/80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining
   Conversion Factor
2. **A. From Square Feet to Cubic Meter M3**
   35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M^3) Common to all items Sand, Stone & Aggregate
3. **B. From Cubic Meter (M^3) to Tonne**
   One Cubic Meter (M^3) Sand **1.60**
   One Cubic Meter (M^3) Aggregate Mix **1.94**
   One Cubic Meter (M^3) Aggregate **1.46**
   One Cubic Meter (M^3) Stone **2.24**
4. All items Sand, Stone & Aggre. **average weight** are taken for conversion while cubic meter to tonne.
5. As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or not

Secretary
Gram Panchayat Badgram
Dev. Block Bharmour

परिशिष्ट– "5"

ग्राम पंचायत भरमौर, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश संयुक्त हस्ताक्षर के बिना अनियमित भुगतान करने एवं स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न होने बारे (पैरा संख्या 9.8 व 9.9 संदर्भित)

Sr.No. Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier	Amount	Remarks
1.14th FC	07/ 22-09-22	Paint, Putty Brush etc.	-	M/S Kartik Swami Traders, Bharmour	47000	**Joint Sign & Stock Entry**
215th FC	05/ 21-09-22	Soling Stone	23.76m3 @2500	M/S Kanchan Singh, PO Badgran, Bharmour	59400	**Joint Sign & Stock Entry**
3.15TH FC	31-42/ 21-09-22	Cement	457bag @499	M/S H.P. Civil Supply Bharmour, Chamba	228043	**Joint Sign & Stock Entry**
4.MGREGA	Nil/ 27-06-23	Cement	420bag @499	M/S H.P. Civil Supply Bharmour, Chamba	209580	**Joint Sign & Stock Entry**
				Total	544023	

Secretary
Gram Panchayat Badgram
Dev. Block Bharmour

परिशिष्ट "6" पैरा संख्या 8.4 में सन्दर्भित

Statement Showing Detail of Payment TDS Not Deducted in r/o Gram Panchayat Badgran, Chamba

SR. NO	VOUCHER NO./DATE	NAME OF FUND	PARTICULAR/ DETAIL OF PARTY	DISCRIPTION OF ITEM	AMOUNT	TDS @2 %	Remarks
1	08-10/ 26-09-2022	IWMP	Sh. Hukami Ram PO Badgran, Bharmour	Carrige of Sand, Agg. Sariya & Cement	82720.00	1654.40	IT Act Section 194C
2	3,5,11,16/ 26-09-2022	IWMP	M/S Kokinder Kumar PO Badgran, Bharmour	Cement Carrige	77840.00	1556.80	IT Act Section 194C
3	23/26-09-2022	IWMP	Sh. Sagar Ram,PO Badgran Chamba	Aggrigate Carrige	30800.00	616.00	IT Act Section 194C
4	17 & 19/ 22-05-2022	IWMP	Sh. Sanjay Kumar, PO Badgran, bharmour	Shuttring on rent & Carrige of Cement Sariya	66320.00	1326.40	IT Act Section 194C
5	Nil/27-06-23	MGREGA	M/S Kanchan Singh PO Badgran, Bharmour	Cement Carrige	30600.00	612.00	IT Act Section 194C
6	Nil/27-06-23	MGREGA	M/S Kanchan Singh PO Badgran, Bharmour	Cement Carrige & Shuttring	66300.00	1326.00	IT Act Section 194C
				Total	354580.00	7091.60	

Secretary
Gram Panchayat Badgram
Dev. Block Bharmour

परिशिष्ट "7" पैरा संख्या 1.1 में सं.दर्भित

Statement Showing Detail of Payment not made on Proper/Tax Bill in r/o GP Badgran Chamba

SR. NO	VOUCHER NO./DATE	NAME OF FUND/GRANT	PARTICULAR/ DETAIL OF SUPPLIER	DISCRIPTION OF ITEM	AMOUNT	REMARKS
1	08-10/26-09-2022	IWMP	Sh. Hukami Ram PO Badgran, Chamba	Carrige of Sand, Agg. Sariya & Cement	82720.00	Plain paper
2	23/26-09-2022	IWMP	Sh. Sagar Ram,PO Badgran Chamba	Aggrigate Carrige	30800.00	do
3	14/26-09-2022	IWMP	Sh. Om Praksh, PO Badgran, Bharmour	Shuttring & Aggrigate	58225.00	do
4	17 -19/22-05-2022	IWMP	Sh. Sanjay Kumar, PO Badgran, bharmour	Shuttring rent, Sand & Carrige of Cement	106320.00	do
5	06 & 07/22-09-2022	IWMP	M/S Surender Kumar,PO Badgran, Chamba	Stone8m3@2500 Agg. 12m3@3300	50287.00	Performa Bill
6	07/22-09-22	14th FC	M/S Kartik Swami Traders, Bharmour	Primer, Putty, Paint brush etc.	47000.00	Cash Memo
				Total	375352.00	

Secretary
Gram Panchayat Badgram
Dev. Block Bharmour

परिशिष्ट "8" पैरा संख्या 9.4 से 9.7 तक स.दर्शित

1. Name of Work : Construction of Soil Conservation Work at Digan Pal Mandir Dali MB No.29883 Page 45,57 & 84										
Item No. & Nomenclature	Measurement as per MB				Total Materaial Availbale at Site			Excess Measurement of Dry masanory	Beldar	Mason
					By Labour	Supplier	Total		0.85	0.42
	Qty.		Rate	Amount						
2. Dry Rubble Masnory	60.37		351.34	21210.4	36.00	24.03	60.03	9.90 m3 (70.02-60.03)	210@218	
2. Dry Rubble Masnory	27.50		351.34	9661.85	27.5	0.00	27.50	4.40m3 (31.90-27.50)		
1. Dry Rubble Masnory	25.80		351.34	9064.57	25.00	0.00	25.00	4.93 m3 (29.93-25) M.R. 1418,1419 &	4.19days	2.07 days
	113.67				112.53	112.53m3		19.32m3		
								1420	913	
Work executed without Earth work										
4.Stone Carrige	36.00		744.47	26800.9	As in MB no leads shown so amount paid for this item can't					
4.Stone Carrige	27.50		744.47	20472.9	verified for tha said work and Nor MB was verified/countersigned					
3.Stone Carrige	25.00		744.47	18611.8	by the competent authorities.					
				65885.6						

2. Name of Work : Rasta Nirmaan Main Road to Nahar Panjari MB No.29883 Page 60 & 88 MB no 046 Page 99 & 100 MB No.29870 Page No 29,77 & 95 (11) & MB no 29966 Page no.14										
Item No. & Nomenclature	Measurement as per MB				Total Materaial Availbale at Site			Excess Measurement of Dry masanory	Beldar	Mason
	Qty.	Consu.	Rate	Amount	By Labour	Supplier	Total		0.85	0.42
3. Dry Rubble Masnory	15.12	17.54	351.34	5312.26	15.00	0.00	15	2.53 m3 (17.53-15)	210@218	
1. Dry Rubble Masnory	2.25	2.61	386.80	870.3	1.50	0.00	1.5	1.11m3 (2.61-1.50)		
2. Dry Rubble Masnory	17.64	20.46	351.34	6197.64	17.00	0.00	17	3.46 m3 (20.46-17) M.R. 1418,1419 &	4.19days	2.07 days
1. Dry Rubble Masnory	12.60	14.62	351.34	4426.88	10.00	0.00	10	4.62m3 (14.62-10)		
2. Dry Rubble Masnory	14.17	16.44	386.80	5480.96	14.00	0.00	14	2.43m3 (16.43-14)	266	495
2. Dry Rubble Masnory	17.55	20.36	386.80	6788.34	17.00	0.00	17	3.35m3 (20.35-17)		
1. Dry Rubble Masnory	36.00	41.76	404.15	14549.5	0.00	30.00	30	11.76m3(41.76-30)	294	495
	115.33	133.78		43625.9	74.50	30.00	104.50	29.28		
								1420	913	
Work executed without Earth work										
5.Stone Carrige	15.00		744.47	11167.1	As in MB no leads shown so amount paid for this item can't					
3.Stone Carrige	1.50		779.64	1169.46	verified for tha said work and Nor MB was verified/countersigned					
3.Stone Carrige	17.00		744.47	12656	by the competent authorities.					
3.Stone Carrige	10.50		744.47	7816.94						
4.Stone Carrige	14.00		779.64	10915.0						
4.Stone Carrige	17.00		779.64	13253.9						
				56978.3						

37

Secretary
Gram Panchayat Badgram
Dev. Block Bharmour

परिशिष्ट "8" पैरा संख्या 9.4 में संदर्भित

1. Name of Work : Water Storage Tank Morthu Head IWMP MB No. Page 72-76					
Item No. & Nomenclature	**Quantitity As per MB**	**Quantity Purchased**	**Quantity not used or in MB**		
	Qty.		Cement	Sand	Agg.
5. P/L CC 1:3:6	4.08	Agg. 595sft@75 vide Vr.14 dt.22-08-22	17.95	1.92	3.63
6. P/L CC 1:2:4	15.80	Agg. 4m3@3500 vide Vr. No12 dt.22-08-22	101.12	7.03	14.06
Total material Consumed			119.07	8.95	17.69
Material Purchesed & Collected			119.00	8.83	20.85
Balance Quantity			**-0.07**	**-0.12**	**3.16**
					3.16@3500= **Rs11060**

2. Name of Work : Drain Diversion Channel Upper & Lower Khnabago Head IWMP MB No. Page 79-82					
3. P/L CC 1:3:6	12.18		53.59	5.72	10.84
Total material Consumed			53.59	5.72	10.84
Material Purchesed & Collected			54	5.72	11.57
Balance Quantity			0.41	0.00	0.73

0.73@3300 = **Rs2409**

Secretary
Gram Panchayat Badgram
Dev. Block Bharmour